*ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/सड़क–09–01/2018 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **नगर परिषद्, लखीसराय में पूर्व में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए अनिकासी की राशि कुल ₹38.24467 लाख (अड़तीस लाख चौबीस हजार चार सौ सड़सठ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर परिषद्, लखीसराय में पथ एवं पुलिया निर्माण मद की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजनाओं के लिए अवशेष राशि की स्वीकृति स्तम्भ– 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा प्रदान करते हुए स्तम्भ– 6 के अनुरूप राशि आवंटित की गई थी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवंटित राशि की निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पाई थी। साथ ही इस संबंध में वरीय कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक– 882, दिनांक– 02.12.2019 द्वारा निर्गत अनिकासी प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुए अनिकासी की राशि पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ– 8 के अनुरूप अधियाचित अनिकासी की कुल राशि ₹38.24467 लाख (अड़तीस लाख चौबीस हजार चार सौ सड़सठ रु०) मात्र की निकासी की स्वीकृति पथ एवं पुलिया निर्माण मद से निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अनिकासी की राशि	पुनः स्वीकृत अनिकासी की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	नगर परिषद्, लखीसराय	वार्ड सं०– 06 में मीरा देवी से अनुप साह एवं बटोरन मंडल से विशुनदेव यादव तक पी०सी०सी० पथ एवं नाली निर्माण कार्य।	101/ 27.12.2018	15.47956	6.73978	6.73978	6.73978
2		वार्ड सं०– 06 में फकीरा भगत से चीव भगत एवं रामजी साव से सरयुग मंडल तक पी०सी०सी० पथ एवं नाली निर्माण कार्य।		20.73000	9.36500	9.36500	9.36500

3		नगर परिषद् लखीसराय क्षेत्रान्तर्गत त्रिलोचन चावला पंजाबी मुहला के मकान से बाईपास रोड तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	91/ 04.12.2018	67.45280	22.13989	22.13989	22.13989
			कुल योग	**103.66236**	**38.24467**	**38.24467**	**38.24467**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹38.24467 लाख (अड़तीस लाख चौबीस हजार चार सौ सड़सठ रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत ₹38.24467 लाख (अड़तीस लाख चौबीस हजार चार सौ सड़सठ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, लखीसराय के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत ₹38.24467 लाख (अड़तीस लाख चौबीस हजार चार सौ सड़सठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष– 0103–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031930103,** विषय शीर्ष– 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/बजट–14–11/2019 के पृष्ठ सं०–.....27...../टि० पर दिनांक–...25/02/2020... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–.....29...../टि० पर दिनांक–...26/02/2020... को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/सड़क–09–01/2019 250 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–16/03/2020

प्रतिलिपि:– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/ प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/ 12.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।